न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली बहरोड़

पीठासीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या : 02 / 2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा–मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विशाल वर्मा।

.............प्रार्थी कम्पनी / सिक्योर क्रेडियर

बनाम

1. मैसर्स फूड मेट एग्रो, पता–खसरा नम्बर 341/2, मैन रोड़ कल्याणपुरा, तहसील कोटपूतली, भांकरी रोड़ पावटा, पूर्व जिला जयपुर वर्तमान जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान।
2. सुरेन्द्र कुमार चौधरी प्रोपराईटर व जमानतदाऱ पता–वार्ड नं0 3, किरारोड़, जयपुर राजस्थान।

.............अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट ऐक्ट – 2002, जिसे एतद पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थितः– विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 11.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थान हैं, जो रिजर्व कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अन्र्तगत सरफैसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत कार्यवाहियॉ करने के लिए अधिकृत हैं। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत एवं उदबोधित किया गया हैं। प्रार्थी कम्पनी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विशाल वर्मा को न्यायालय एवं अर्द्ध–न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी में समस्त विधिक कार्यवाहियॉ करने के लिए जरिये बोर्ड प्रस्ताव से अधिकृत किया गया हैं। प्रार्थी कम्पनी से अप्रार्थी/ऋणी ने लोन फैसिलिटी से खाता संख्या **60418018735** में 65,00,000/– रूपये (अक्षरे पैंसठ लाख रूपये मात्र) व खाता संख्या **60418017312** में 30,00,000/– रूपये (अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) में लोन के बाबत प्राप्त किए तथा अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पति साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति जो खसरा नम्बर 341/2 ग्राम कल्याणपुरा, भाकरी रोड़, पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान में स्थित है, जो सन्त राम जाट के नाम से है जिसका क्षेत्रफल 696 वर्ग मीटर है, को प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार नही चुकाया, जिसकी वजह से प्रार्थी कम्पनी ने उक्त लोन खाते को दिनांक 26.12.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया व अप्रार्थी/ऋणी के उक्त वर्णित लोन खाता संख्या **60418018735** में 65,54,157/– रूपये (अक्षरे पैंसठ लाख चौवन हजार एक सौ सतावन रूपये मात्र) व खाता संख्या **60418017312** में 24,86,014/– रूपये (अक्षरे चौबीस लाख छीआसी हजार चौदह रूपये मात्र) कुल रूपये 90,40,171/– रूपये (अक्षरे नब्बे लाख चालीस हजार एक सौ इकहेत्तर रूपये मात्र) दिनांक 28.12.2023 तक ब्याज राशि शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे पृथक से बकाया निकलते है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को नियमानुसार ऋण भुगतान ना करने पर कम्पनी के द्वारा नियमानुसार दिनांक 26.12.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया था। उक्त ऋण खाता को एन.पी.ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी कम्पनी ने ऋणी/अप्रार्थी एवं सहऋणी को दिनांक 28.12.2023 एवं रजि0 दिनांक 02.01.2024 के रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया उक्त नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पते पर हो चुकी थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। तत्पश्चात अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई एवं ना ही बन्धकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पानी को सम्पूर्ण बकाया राशि या सम्पत्ति कब्जा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर बन्धक सम्पत्ति का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कम्पनी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि लोन खाता संख्या **60418018735** में 65,54,157/– रूपये (अक्षरे पैंसठ लाख चौवन हजार एक सौ सतावन रूपये मात्र) व खाता संख्या **60418017312** में 24,86,014/– रूपये (अक्षरे चौबीस लाख छीयासी हजार चौदह रूपये मात्र) कुल रूपये 90,40,171/– रूपये (अक्षरे नब्बे लाख चालीस हजार एक सौ इकहेत्तर रूपये मात्र) दिनांक 28.12.2023 तक ब्याज राशि शामिल करतें हुए तथा इसके आगे का ब्याज

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)

व अन्ये खर्चे पृथक से जमा कराना हैं, परन्तु ऋणी एवं सहऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह–ऋणी से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को लोन खाता संख्या **60418018735** में 65,00,000/– रूपये (अक्षरे पैंसठ लाख रूपये मात्र) व खाता संख्या **60418017312** में 30,00,000/– रूपये (अक्षरे तीस लाख रूपये मात्र) को स्वीकृत कर ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रूपये 90,40,171/– रूपये (अक्षरे नब्बे लाख चालीस हजार एक सौ इकहेत्तर रूपये मात्र) दिनांक 28.12.2023 तक ब्याज राशि जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स फूड मेट एग्रो, पता–खसरा नम्बर 341/2, ग्राम कल्याणपुरा, तहसील पावटा, भांकरी रोड़ पावटा, पूर्व जिला जयपुर वर्तमान जिला कोटपुतली बहरोड़, राजस्थान (ऋणी) सुरेन्द्र कुमार चौधरी प्रोपराईटर व जमानतदार पता–वार्ड नं0 3, किरारोड, जयपुर राजस्थान (सहऋणी) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक कोटपूतली–बहरोड़ को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 11.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)